



कार्यालय जिला कलक्टर, एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
www.jaipur.rajasthan.gov.in



क्रमांक: विकास II/शिक्षा/2024/5

दिनांक : 4/1/2024

आदेश

श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक: शिविरा-माध्य/निरीक्षण प्रकोष्ठ/22418/शिविरा पंचाग/2023-24/ दिनांक 22.06.2023 के निर्देशानुसार विद्यालयों में दिनांक 25 दिसम्बर 2023 से 05 जनवरी 2024 तक शीतकालीन अवकाश घोषित किये गये हैं, किन्तु आगामी दिनों में तापमान गिरने से सर्दी का प्रकोप बढ़ने व शीत लहर की अधिक संभावना को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर द्वारा शीतकालीन अवकाश उपरान्त भी विद्यालयों में अवकाश रखे जाने हेतु निवेदन किया गया है।

अतः जयपुर जिले के समस्त राजकीय/गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा 8वीं तक दिनांक 06.01.2024 से दिनांक 13.01.2024 तक अवकाश घोषित किया जाता है। शिक्षको एवं संचालित अन्य परीक्षाओं का समय यथावत रहेगा। इन निर्देशों की अवहेलना करने वाले राजकीय/गैर राजकीय विद्यालयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

जिला कलक्टर

जयपुर

दिनांक : 4/1/2024

क्रमांक: विकास II/शिक्षा/2024/6

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, जयपुर।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा संकुल, जयपुर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर शहर/ग्रामीण को आदेश की पालना सुनिश्चित करवाने हेतु।
7. समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला जयपुर शहर/ग्रामीण को पालना सुनिश्चित करवाने हेतु।
8. उप निदेशक, जिला जन सम्पर्क कार्यालय, जयपुर।
9. अतिरिक्त निजी सचिव, जिला कलक्टर, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

RajKaj Ref
5285966



जिला कलक्टर
Digitally signed by Prakash Rajpurohit
Designation: Collector & District
Magistrate

Date: 2024.01.04 11:53:45 IST

Reason: Approved